

08.11.2023:-

पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया। इस कारण प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र खारिज करवाना चाहता। पत्रावली को आज ही पेशी में लिया जाकर वादपत्र खारिज किया जाने के आदेश फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर प्रार्थी के अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी कि पहचान वादी अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निर्वाण द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

एवं उपाधिकारी

हनुमानगढ़